



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रारम्भिक डिक्री मुकदमा इब्दादाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादी

प्रतिवादीगण

1. छीतरमल पुत्र मांग्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

1. बद्रीनारायण पुत्र धन्ना
2. सियाराम पुत्र नानगराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. सोनल सिंह पत्नी विरेन्द्र सिंह जाति धाकड़ निवासी 7524, जवाहर नगर जयपुर।
4. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

दावा घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

पर्चा डिक्री

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/36

मुकदमा न0 88/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू हमारे मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तन् श्रीरामपुरा प.ह. फाल्यावास तहसील बस्सी के आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 0.8219 है0, ख.नं. 104 रकबा 2.4278 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्से अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमियों का पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके के कब्जा काश्त व हक हिस्सा, खातेदारी के अनुसार एवं मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक तकास्मा करवाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को उसके हक हिस्सा व खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर अलग-अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बस्सी द्वारा तैयार किया जावें। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व यथा सम्भव सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करें। उभय पक्षों को सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवाकर आदेशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री अनुसार कुर्रजात रिपोर्ट तीन-तीन प्रतियों में मय नजरी नक्शे के भिन्न-भिन्न रंगों में दर्शाते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

.....निजि.....मुबकिल.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/01/2025 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तखत.....

ओहदा..... उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिए दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर